



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND
CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-
682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

F.No.CUS/APR/MISC/3595-A/GR/O/o COMM-R-CUS-COCHIN

दिनांक Dated. 27.06.2022

व्यापार सुविधा सं. TRADE FACILITY NO. 03/2022

विषय: सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया में तेजी लाने व प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन उपायों में सुधार - के संबंध में।

Sub.: Improvements in Faceless Assessment Measures for streamlining process and expediting Customs clearances - reg.

एफएजी में मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु फेसलेस असेसमेंट पर सी बी आई सी द्वारा जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों की ओर सभी आयातकों, निर्यातकों, सीमा शुल्क ब्रोकरों और व्यापार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। व्यापार ने अभिवेदन किया है कि विभिन्न उपायों के बावजूद, एफ ए जी को आवंटित बिल ऑफ एंट्री के मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार की पूछताछ व पहली जाँच परीक्षा के लिए बीई चिह्नित करने आदि के कारण देरी हो रही है। इस मुद्दे की जांच की गई है और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल्यांकन के समय को कम करने और ड्वेल टाइम में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

Attention of all Importers, Exporters, Customs Brokers, and Trade is invited towards various circulars issued by CBIC on Faceless Assessment issued to streamline the process to expedite Assessment in FAG. The trade has represented that despite of various measures, the assessment of Bills of Entry allotted to FAG is delayed because of multiple queries and marking BE for first check examination etc. The issue has been examined and it is for the information of all concerned that to reduce time of assessment and reducing the dwell time, following measures are being taken.

- अधिकारियों को उपयुक्त रूप से निर्देश दिया गया है कि वे एक से अधिक प्रश्न न उठाएं। एफ ए जी द्वारा उठाए गए प्रश्नों की निगरानी के लिए अपर आयुक्त /संयुक्त आयुक्त और आयुक्त के स्तर पर एक तंत्र शुरू किया गया है।
The officers have been suitably instructed not to raise multiple queries. A mechanism at the level of ADC/JC and Commissioner to monitor the queries raised by FAG has been started.
- पहली जाँच परीक्षा हेतु बिल ऑफ एंट्री की निगरानी की इसी तरह की व्यवस्था की गई है, कई प्रश्नों के बाद बिल ऑफ एंट्री को पीएजी को भेज दिया जाता है और जो पीएजी में मूल्यांकन के लिए उपलब्ध होता है।

Similar mechanism of monitoring is put in place for Bills of Entry for First Check examination, the Bills of Entry pushed to PAG after multiple queries and is for assessment at PAG.

- iii. इसके अलावा, अधिकारियों को कई प्रश्नों से बचने के निर्देश जारी किए गए हैं और व्यापार को भी इस तरह के प्रश्नों से बचने के लिए ई-संचित में आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जिनमें व्यापार उचित दस्तावेज अपलोड नहीं करता है परिणामस्वरूप, अधिकारियों को सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है तथा दूसरी क्वेरी के बाद आयातक को पर्याप्त अवसर देने के बाद बिल ऑफ एंट्री को पीएजी को वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए, कस्टम ब्रोकर्स/आयातकनिम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना सुनिश्चित करें:

Further, instructions have been issued to the officers to avoid multiple query and trade has also been requested to file necessary documents in E- sanchit to avoid such queries. However, many instances have been noticed wherein the trade do not upload proper documents. As a result, the officers are compelled to raise queries and after the 2nd query the bill of entry will be pushed back to PAG after giving sufficient opportunities to the importer. Hence, the Custom Brokers/Importer should ensure uploading of following documents:

- बी आई एस/ई टी सी/डब्ल्यू पी सी/एल एम पी सी/ई पी आर ए BIS/ETC/WPC/LMPC/EPRA
- निर्यात दस्तावेज/ माल ढुलाई प्रमाणपत्र/ निर्यात लाभ के समर्पण का प्रमाण Export Documents/Freight Certificate/Proof of surrender of Export benefit.
- बिल ऑफ एंट्री में लोड होने के बाद भी लाइसेंस में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करें Ensure Sufficient balance in Licence even after loading in bill of entry.
- ब्रांड/मेक/मॉडल/सी ओ ओ प्रमाणपत्र/उत्पाद तकनीकी दस्तावेज यदि कोई हो घोषित करें Declare Brand/Make/Model/COO Certificate/product technical literature if any.
- सीटीएच के अनुसार उचित यूक्यूसी सुनिश्चित करें Ensure proper UQC as per CTH
- सी सी आर/ओ जी डी निर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज। Documents required as per CCR/OGD instructions.
- कोई अन्य दस्तावेज जो मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। Any other document which are essential for assessment.

- iv. व्यापार कोचिन सीमा शुल्क क्षेत्र से संबंधित बी/ई की निकासी से संबंधित किसी भी शिकायत के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी, तुरंत सुविधा केंद्र, सीमा शुल्क गृह कोचिन से संपर्क करें। वे शीघ्र निवारण के लिए tsk.cochincustoms@gmail.com पर ई-मेल आईडी पर बी/ई की निकासी से संबंधित अपनी शिकायत भी भेज सकते हैं।

The trade may contact Appraising Officer, Turant Suvidha Kendra, Cochin Custom House in terms of any grievance related to clearance of the B/E pertaining to Cochin Customs Zone. They may also communicate their grievance relating to clearance of the B/E on E-mail ID at tsk.cochincustoms@gmail.com for early redressal.

- v. व्यापार से अनुरोध है कि वे देरी, अकारण प्रश्नों और पहले जाँच आदेश के मुद्दों को संबंधित अपर आयुक्त/उप आयुक्त के संज्ञान में लाएं। यदि पोर्ट ऑफ इंपोर्ट

INCOK1 के बिल ऑफ एंट्री के संबंध में प्रश्नों और अन्य मुद्दों के उत्तर देने में व्यापार को कोई कठिनाई हो रही है, तो वे अपर आयुक्त, टी एस के से ईमेल आईडी- tamilzh.v@gov.in पर संपर्क करें।


The Trade is requested to bring the issues of delay, unwarranted queries and first check orders to the notice of concerned ADC/JC. If trade is finding any difficulty in replying to queries & other issues with respect to Bills of Entry of Port of Import INCOK1, they can contact Addl. Commissioner, TSK on email ID- tamilzh.v@gov.in

सीमा शुल्क ब्रोकर और आयातकों से अनुरोध है कि वे ई-संचित पर आयात की गई वस्तु का आकलन करने के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य दस्तावेजों को दस्तावेज के विशिष्ट नाम के साथ उचित कॉलम में अपलोड करने के बाद अग्रिम रूप से वीडो फाइल करें ताकि पूछताछ से बचा जा सके व माल की निकासी में तेजी लाई जा सके। व्यापार से भी अनुरोध है कि वह प्रश्न का निर्दिष्ट उत्तर दें।

इस संबंध में अनुभव होने वाली किसी भी कठिनाई को तत्काल अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए।

The Customs Broker and Importers are requested to file BE in advance after uploading all mandatory documents required for assessing the item imported on E- Sanchit in proper column with specific name to the document to avoid query so as to expedite clearance of goods. Trade is also requested to give a specific reply to the query.

Any difficulties experienced in this regard may be brought to the notice of undersigned immediately.



(मो. यूसफ़ MOHD.YOUSAF)

आयुक्त COMMISSIONER

को जारी Issued to: मेल सूची के अनुसार सभी संबद्ध All concerned, as per mailing list.

प्रतिलिपि Copy to:

1. आयुक्त की फाइल Commissioner's file.
2. कोचिन कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन, कोचिन The Cochin Customs Brokers Association, Cochin.
3. ई डी आई अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु EDI Section for uploading on the website.

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs